

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 03/02-भू0अ0नि0 (जांच प्रतिवेदन)- CMJ-99/2023(खंड-1) 9350

22/12/2023
पटना, दिनांक :

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या - 01/2019 के आलोक में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों का नियोजन किया गया है। नियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों में मो0 परवेज आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02510) द्वारा CMJ University, Meghalaya से निर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है, जिन्हें नियोजित करते हुए बंदोबस्त कार्यालय, अरवल में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कराया जा रहा है। मो0 आलम द्वारा नियोजन के समय समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उक्त विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में CMJ University, Meghalaya द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का भेजे जा रहे सत्यापन प्रतिवेदन में कभी प्रमाण पत्र को फर्जी प्रतिवेदित किया जा रहा है एवं कभी उसी प्रमाण पत्र को सत्यापित कर भेजा जा रहा है, जिससे विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय के पत्रांक CMJU/RO/VERI./2022-07/61/571 दिनांक 23.07.2022 द्वारा यह सूचना दी गयी है कि इनका सारा अभिलेख/दस्तावेज सी0आई0डी0, मेघालय द्वारा जब्त कर लिया गया है।

CMJ University के जब्त किए गए अभिलेख/दस्तावेज से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशालय पत्रांक 2607 दिनांक 20.09.2022, पत्रांक 2079 दिनांक 13.03.2023 एवं पत्रांक 4475 दिनांक 30.05.2023 द्वारा पुलिस महानिदेशक, मेघालय पुलिस, पुलिस मुख्यालय, शिलांग से अनुरोध किया गया। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निदेशालय आदेश संख्या 4692 दिनांक 02.06.2023 द्वारा प्राप्त हो रहे सत्यापन प्रतिवेदनों के संबंध में मेघालय जाकर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने हेतु निदेशालय स्तर पर विशेष दूत के रूप में दो सदस्यी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के मेघालय भ्रमण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0, मेघालय के पत्रांक 364 दिनांक 07.06.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के जब्त अभिलेखों के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा गया है।

सी0आई0डी0, मेघालय द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि "April, 2013, based on serious allegations against the CMJ University a case was registered by the Meghalaya Police CID Organization vide CID Police Station Case no. 2(04)13 U/S 406/420/466 IPC and Investigated into." साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि "The above referred case has already been charge sheeted vide CID PS charge sheet no. 01/2015 dated 20-04-2015 and all the seized items has been forwarded in the Hon'ble Court of the Chief Judicial Magistrate, Shillong." इसके साथ ही यह भी सूचना दी गयी कि शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार ने अपने आदेश संख्या EDN/CC/18/2013/PT.I/16 दिनांक 31.03.2014 द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से विघटन कर दिया गया है।

साथ ही निदेशालय स्तर पर गठित टीम द्वारा भी जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच टीम द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2010-2013 तक का कोई भी रिकार्ड/दस्तावेज विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं मई, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद था, इस दौरान कोई भी पाठ्यक्रम/सत्र विश्वविद्यालय में संचालित नहीं किया गया है और न ही कोई प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय में WP(C) No. 177/2014 दायर किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध मेघालय सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WA No. 14/2017 दायर किया गया, जिसमें WP(C) No. 177/2014 में पारित आदेश को रद्द करते हुए वाद को एकल पीठ को रिमांड करते हुए विघटन आदेश को मेरिट के आधार पर सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया है। इस पारित आदेश के विरुद्ध उक्त विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP (Civil) No(s) - 7081/2021 एवं SLP(Civil) No(s) - 14231/2021 दायर किया गया, जो वर्तमान में लंबित है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया संदेहास्पद है एवं शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

सी0आई0डी0 मेघालय एवं गठित जांच टीम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मो0 आलम से निदेशालय पत्रांक 6810 दिनांक 04.09.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि क WPC No. 177/2014 द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है एवं मेघालय सरकार द्वारा 2019 में प्रकाशित गजट में विश्वविद्यालय को नियमानुकूल माना है।

सी0आई0डी0, मेघालय से प्राप्त सूचना एवं जांच टीम से प्राप्त प्रतिवेदन तथा मो0 आलम से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि स्पष्टीकरण में जिस WPC No. 177/2014 का उल्लेख किया गया है, उस पारित आदेश को WA No. 14/2017 में पारित आदेश द्वारा रद्द करते हुए मामले को एकल पीठ को रिमान्ड किया गया है एवं विघटन आदेश को मेरिट के आधार पर सुनवाई का आदेश पारित किया गया है। साथ ही इनके द्वारा विश्वविद्यालय के संबंध में मेघालय सरकार से वर्ष 2019 में प्रकाशित गजट का उल्लेख किया गया है। प्रकाशित गजट की कंडिका-12 में स्पष्ट किया गया है कि "Anything done or any action taken under the provisions of the principal act prior to this amendment shall remain valid unless revoked or annulled by the State Government." इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के संबंध में पूर्व में की गयी कार्रवाई तब तक वैध है जबतक मेघालय सरकार इसे वापस नहीं लेती है। साथ ही इनके द्वारा विश्वविद्यालय के ब्रांच शिलांग से निर्गत औपबंधिक प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त किया गया है। शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार द्वारा निर्गत विश्वविद्यालय के भंग करने संबंधी आदेश में शिलांग ब्रांच को अवैध माना गया है। ऐसी स्थिति में इनके प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जा सकता है।

अतः Terms of Assignment की कंडिका - 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री चंदन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02077) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(जांच प्रतिवेदन)-CMJ-99/2023(खंड-1).....पटना, दिनांक :- 22/12/23
प्रतिलिपि :- मो0 परवेज आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02510) बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(जांच प्रतिवेदन)-CMJ-99/2023(खंड-1).....पटना, दिनांक :- 22/12/23
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि मो0 आलम से सभी अभिलेख/दस्तावेज तुरन्त प्राप्त करते हुए प्रावधानित नियम के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-भू0अ0नि0(जांच प्रतिवेदन)-CMJ-99/2023(खंड-1).....पटना, दिनांक :- 22/12/23
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अंतर्गत R2R में संधारित मो0 आलम की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण